

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

MMER

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 21/10/2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction के आलोक में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त MMER Grant की राशि रु0 25,00,000/- (पचीस लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.NO.24-4/2025.U.Policy दिनांक 21.04.2025 एवं दिनांक 02.07.2025 तथा वित्त विभागीय पत्रांक 624/बजट दिनांक 02.09.2025

आदेश -

स्वीकृत।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" संचालित है। इस योजना द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में Access, Equity & Quality प्राप्त किया जाना है।

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.NO.1(27)PFMS/2020 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा झारखण्ड राज्य हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) में SNA SPARSH प्रणाली को लागू किया गया है।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3532/वि0 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा ई0 कुबेर प्लेटफार्म, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme, CSS) की राशि को Just in time पर जारी करने हेतु SNA SPARSH के रूप में समायोजित प्रणाली स्वीकृत शीघ्र हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया है।

4. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत MMER Grant के रूप में स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 100:00 की हिस्सेदारी से की जायेगी। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत MMER Grant के रूप में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से केन्द्रांश मद में रु0 60.00 लाख का बजटीय उपबंध है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction के आलोक में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त MMER Grant की राशि रु0 25,00,000/- (पचीस लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. केन्द्रांश (MMER Grant) के रूप में विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-BV- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (एम0एम0ई0आर0) - (केन्द्रांश 100 : राज्यांश 00), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) एवं 79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)

(विपत्र कोड-21C220203102BV000646, 21C220203102BV000679) मद से किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNEDN046) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

8. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापक 759 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

10. सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन RUSA के मार्गदर्शिका, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार एवं समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में किया जाएगा। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना निदेशक RUSA की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी होगी।

11. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

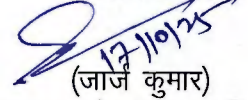
12. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

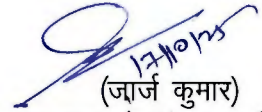
विश्वासभाजन,


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 157/अप्र / रॉची, दिनांक- 21/10/2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 157/अप्र / रॉची, दिनांक- 21/10/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रुसा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रुसा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

